फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

प्रहलाद बनाम भोला

संख्या : 46/19 डिग्री

सं संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष के कुरेजात के आधार डिक्री करने हेतु निवेदन किया अतः वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 46/2019 पत्रावली दर्ज दिनांक 29.05.2019

1. प्रहलाद सहाय पुत्र श्री गोरिया उर्फ गुट्टा
2. रामसहाय पुत्र पुत्र श्री गोरिया उर्फ गुट्टा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र भूराराम, जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. रूडाराम पुत्र धन्नाराम
3. गोपाल पुत्र धन्नाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. शंकर पुत्र झुथाराम
5. रामनिवास पुत्र भूराराम
   समस्त जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. लादूराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र
7. रतनलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
8. राजकुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र
9. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र
   समस्त बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. श्रीमती कमली देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी मदनलाल शर्मा जाति बागडा ब्रह्मम्ण निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
11. श्रीमती लक्ष्मा देवी पुत्र रामचन्द्र पत्नी मोहनलाल शर्मा जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी डाकावाला रामपुरा, तहसील झोटवाडा जिला जयपुर।
12. श्रीमती मंजु देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी नानूराम शर्मा जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 15.05.2025

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 के हाल खसरा नम्बर 936/126[illegible] रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 964 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 966 रकबा 0.68 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 4.73 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा [illegible] है। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं। भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 2 वाद पत्र का आज दिन तक विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा हैं, भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की हैं, जिसको वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने मनबंट से बांट रखा हैं तथा वादीगण मनबंट में आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा राज्य सरकार को लगान शामलाती रूप से अदा करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं, वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर हर प्रकार से उपयोग–उपभोग कर उपजों को प्राप्त कर लाभउठातो चले आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से कतई मर्तबा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने हेतु निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 हमेशा ही वादीगण को यह आश्वासन देते रहे कि आप तो अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो ही, हम अतिशिघ्र आपसी सहमति से तकासमा करवा लेगें, जिस पर वादीगण ने पूर्व में सदभावना पूर्वक विश्वास कर लिया, वादीगण के कब्जे काश्त में वाद कारण के पूर्व किसी प्रकार का कोई व्यवधान एवं दखलन्दाजी नहीं की हैं। पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के मन में कतई कोई बेईमानी नहीं रही थी, किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारू कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के मन में कतई बेईमानी आने लगी हैं, तथा वे वादीगण को उनके कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे हैं तथा दिनांक 22–05–2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 अपने साथ कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त की नाप जौख करने लगे, जब वादीगण ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने कहां कि वे भूमि विवादग्रस्त का बेचान कर रहे हैं, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से निवेदन किया कि वे पहले भूमि विवादग्रस्त का विधिवत रूप से तकासमा सरस व नरस के आधार पर करवा ले, फिर बेचान करें, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 उग्र हो गये तथा वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वे अतिशिघ्र भूमि विवादग्रस्त का छोटे–छोटे भूखण्डों में बेचान, हस्तान्तरित करके रहेगें, तथा वादीगण को उनके हक हिस्से से जबरिया बेदखल करके रहेगे, तथा तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये वादीगण को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को यह कतई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वे भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवाये दीगरान् को बेचान हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बक्शीश आदि करें, भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, वादीगण को उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कारित करें, भूमि विवादग्रस्त में दीगरान् को प्रवेश करवाये, भूमि विवादग्रस्त में खड्डे आदि खोदे, क्योंकि भूमि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि हैं, जिसके प्रत्येक इंच भू–भाग पर वादीगण का हक हिस्सा निहित हैं। वादीगण को यह हक व [illegible] हासिल हैं कि वे मान्य न्यायालय के समक्ष यह वाद पत्र प्रस्तुत कर भूमि विवादग्रस्त [illegible] नम्बर 2 वाद पत्र का बाई मीट्रस एण्ड बाउण्ड्रस तकासमा सरस व नरस के आधार पर अर्थात अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के आधार पर करवाये तथा अपने हिस्से खाता संख्या 146 की आराजीयात में 1/2 हिस्से का पृथक से लगान निर्धारित करवावे, एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवावे, तथा प्रतिवादीग ना ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त से जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:15:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

रें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान् को प्रवेश करवाये, ना ही कब्जा करवाये, तथा प्रतिवादी संख्या 13 भूमि विवादग्रस्त बावत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, तथा भूमि विवादग्रस्त बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें। वाद कारण दिनांक 22–05–2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 द्वारा वादीगण को भूमि विवादग्रस्त का बेचान, हस्तान्तरण करने, वादीगण को बेदखल करने की धमकी दिये जाने से एवं तकासमा करवाने से साफ इन्कार होने से उदित होकर लगातार श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में उदित हो 13 को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं, जो कि लोक सेवक हैं, जिन्हें वाद पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिये जाना आवश्यक हैं, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 भूमि विवादग्रस्त का शिघ्र ही बेचान करने पर आमदा हो रहे हैं, इसलिये वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस में छूट हेतु धारा 80 (2) सी० पी० सी० का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 बिना तकासमा करवाये ही भूमि विवादग्रस्त का बेचान हस्तान्तरण दीगरान् को कर देगें, तथा दीगरान् वादीगण को भूमि विवादग्रस्त से जबरिया बेदखल कर देगें, जिससे वादीगण अपनी कब्जे काश्त की संयुक्त खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जावेगे तथा वादीगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में रूपयों में किये जाना कतई भी सम्भव नहीं होगा तथा इससे वाद बहुल्यता भी बढेगी। रामचन्द्र का स्वर्गवास हो गया हैं, जिसके विधिक वारिसान के हक में नामान्तकरण नहीं खुला हैं, जिसके विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 को पक्षकार बनाया गया हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 रजि. एडी. से तामील बाद भी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.12.2019 एकपक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 के अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सीधे बहस की। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिन्होंने प्राथमिक डिक्री करने पर सहमति देने पर वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (गवर्नमेंट) रेवेन्यू रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 146 के हाल खसरा नम्बर 936/1260 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 964 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 2.43 है0, खसरा नम्बर 966 रकबा 0.68 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 4.73 है0 भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया
गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात प्राप्त होने पर वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति
कुर्रेजात पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से आपत्ति पर जवाब पेश किया।
उभयपक्ष को बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया तथा उभयपक्ष की आपत्ति कुर्रेजात पर
बहस सुनी गई। वादी प्रार्थी ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र व बहस में जाहिर किया कि कुर्रेजात
प्रस्ताव में केवल प्रतिवादी के हितों का ध्यान रखा गया है। तथा तहसीलदार आमेर ने राज0
टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना बिल्कुल भी नहीं की है ताा
पक्षकारान की गेर मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा कुर्रेजात बाई मीट्स
एण्ड बाउण्डस के आधार पर नहीं बनाये गये है। हमने आपत्ति प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना
पत्र व दौराने बहस किये गये तथ्यों का मनन उपरांत आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार किया गया
तथा तहसीलदार आमेर को पुनः कुर्रेजात हेतु आदेशित किया गया। उभयपक्ष ने प्राप्त पुनः
कुर्रेजात के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गयी एवं
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है।
अतः वर्तमान तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 691 दिनांक 20.03.2025 के
आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. गोपाल पुत्र धन्नाराम हि. 1/2, रूडाराम पुत्र धन्नाराम हि. 1/2 जाति जाट, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 964/1 रकबा 0.4050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 965/1 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, खसरा नंबर 966 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रहलाद सहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/2 रकबा 1.1450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/5 रकबा 1.1450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. प्रहलादराम पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/2, रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. कमला देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, प्रभाती देवी पत्नी रामचंद्र हि. 1/28, मंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, रतनलाल पुत्र रामचंद्र [illegible] 28, [illegible]जेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/28, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, [illegible] [illegible]द्र हि. 1/28, जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह बिना रहन शंकरलाल पुत्र सुखाराम [illegible] 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चंपापुरा रोड [illegible] रामजानकी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/8 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार मंगलाचद्र पि0 भूराराम हि. 1/4 जाति बागडा

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date:2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 964/3 रकबा 1.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 965/4 रकबा 0.0650 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. कमला देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, प्रभाती देवी पत्नी रामचंद्र हि. 1/112, मंगलाचंद्र पुत्र भूराराम हि. 1/16, मंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/112, रतनलाल पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, रामजानकी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/32, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/112, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार बिना रहन शंकर पुत्र झूंथाराम हि. 1/16, जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन आईडीबीआई बैंक शाखा चंपापुरा, हेमलता पत्नी दिनेश हि. 1/32 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह, गोपाल पुत्र धन्ना हि. 1/8, रूडाराम पुत्र धन्नाराम हि. 1/8, जाति जाट, प्रहलाद सहाय गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/4, रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 936/1260 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 964/2 रकंबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

वाद संख्या 46/2019 — **निर्णय दिनांक 15.05.2025**

1. प्रहलाद सहाय पुत्र श्री गोरिया उर्फ गुट्टा
2. रामसहाय पुत्र पुत्र श्री गोरिया उर्फ गुट्टा
   समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र भूराराम, जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. रूडाराम पुत्र धन्नाराम
3. गोपाल पुत्र धन्नाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. शंकर पुत्र झुथाराम
5. रामनिवास पुत्र भूराराम
   समस्त जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. लादूराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र
7. रतनलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
8. राजकुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र
9. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र
   समस्त बागडा ब्रहाम्ण निवासी पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. श्रीमती कमली देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी मदनलाल शर्मा जाति बागडा ब्रह्मम्ण निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
11. श्रीमती लक्ष्मा देवी पुत्र रामचन्द्र पत्नी मोहनलाल शर्मा जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी डाकावाला रामपुरा, तहसील झोटवाडा जिला जयपुर।
12. श्रीमती मंजु देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी नानूराम शर्मा जाति बागडा ब्रहाम्ण निवासी ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

...........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. गोपाल पुत्र धन्नाराम हि. 1/2, रूडाराम [illegible] हि. 1/2 जाति जाट, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 964/1 रकबा [illegible]50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 965/1 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रहलाद सहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/2 रकबा 1.1450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/5 रकबा 1.1450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रहलादराम पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/2, रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 965/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. कमला देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, प्रभाती देवी पत्नी रामचंद्र हि. 1/28, मंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, रतनलाल पुत्र रामचंद्र हि. 1/28, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/28, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/28, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/28, जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह बिना रहन शंकरलाल पुत्र झूंथाराम हि. 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चंपापुरा रोड जयपुर रामजानकी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/8 जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार मंगलाचद्र पि0 भूराराम हि. 1/4 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 964/3 रकबा 1.0850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 965/4 रकबा 0.0650 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. कमला देवी पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, प्रभाती देवी पत्नी रामचंद्र हि. 1/112, मंगलाचंद्र पुत्र भूराराम हि. 1/16, मंजू देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/112, रतनलाल पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, राजेन्द्र पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, रामजानकी पत्नी ओमप्रकाश हि. 1/32, लक्ष्मी देवी पुत्री रामचंद्र हि. 1/112, लादूराम पुत्र रामचंद्र हि. 1/112, जाति बागडा ब्राहम्ण, सा. देह खातेदार बिना रहन शंकर पुत्र झूंथाराम हि. 1/16, जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन आईडीबीआई बैंक शाखा चंपापुरा, हेमलता पत्नी दिनेश हि. 1/32 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह, गोपाल पुत्र धन्ना हि. 1/8, रूडाराम पुत्र धन्नाराम हि. 1/8, जाति जाट, प्रहलाद सहाय गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/4, रामसहाय पुत्र गोरया उर्फ गुट्टा हि. 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 936/1260 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 964/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 15.05.2025 को जारी किया।

दस्तखत———
ओहदा———

न्यायालय सहायक कलक्टर ... जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:42 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	[illegible]दायल[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी [illegible]	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना व[illegible]		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	4 रूपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर